International Journal of Sanskrit Research 2017; 3(6): 102-104

International Journal of Sanskrit Research

अनन्ता

ISSN: 2394-7519
IJSR 2017; 3(6): 102-104
© 2017 IJSR
www.anantaajournal.com
Received: 18-09-2017
Accepted: 19-10-2017

डॉ0 ओमकार मिश्र
अध्यक्ष, संस्कृत–विभाग, अतर्रा पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, अतर्रा (बाँदा)

डॉ0 रीता सिंह
पी–एच0डी0 (संस्कृत), माँ सरस्वती महिला पी0जी0 कालेज, चाँदपुर, वाराणसी

Correspondence
डॉ0 ओमकार मिश्र
अध्यक्ष, संस्कृत–विभाग, अतर्रा पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, अतर्रा (बाँदा)

स्मृति काल में शिक्षा (स्त्रियों के सन्दर्भ में)

डॉ0 ओमकार मिश्र, डॉ0 रीता सिंह

प्रस्तावना

स्मृतियाँ हिन्दुओं के प्राचीन धार्मिक ग्रन्थ हैं। स्मृतियों का काल लगभग तीसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व से पंचम शताब्दी तक माना जाता है। स्मृतियों में धार्मिक शिक्षा के उल्लेख हैं।

वैदिक ग्रन्थों में शिक्षा का अर्थ आजकल प्रचलित शिक्षा शब्द के अर्थ से भिन्न है। शिक्षा वैदिक काल के व्याकरण ग्रन्थ हैं। वैदिक साहित्य में शिक्षा षड्वेदांगों में मुख्य वेदांग है–

> ''स्वरवर्णाद्युच्चारणप्रकारो यत्र शिक्ष्यते उपदिश्यते सा शिक्षा''

आजकल शिक्षा का अर्थ बौद्धिक ज्ञान है। किसी भी सभ्यता और संस्कृति के विविध स्तर, धारणाओं, भावनाओं आदि के ज्ञान के लिए उस सभ्यता और संस्कृति में स्त्रियों की दशा–दिशा, उनके अधिकारों और स्वत्वों का ज्ञान होना आवश्यक है।

उपनिषदों की शिक्षा के ही समान स्मृतियों में भी शिक्षादर्शन विवेचित है। जिज्ञासु शिष्य गुरु से प्रश्न करता है तो गुरु विभिन्न विधाओं से उसकी जिाासा का शमन करता है। बीच–बीच में शिष्य द्वारा उठायी गयी शंकाओं का निराकरण गुरु करता है।

किसी भी समाज की सभ्यता व संस्कृति शिक्षा से ही विकसित होती है। विश्व में सर्वप्रथम शिक्षा की महत्ता को भारतीयों ने ही समझा। भारतीय शिक्षा प्रणाली से सैकड़ों वर्षों तक वैदिक साहित्य की सुरक्षा ही नहीं हुई बल्कि भारतीय दर्शन, न्याय, गणित, ज्योतिष, वैद्यक रसायन आदि के ज्ञान के क्षेत्रों में ऐसे विद्वान प्रादुर्भूत हुए जो इन ज्ञानों को सुरक्षित रखते हुए भारत का मस्तिष्क ऊँचा किये।

स्त्रियों की शिक्षा

स्मृतियों के काल में पुरुषों के ही समान स्त्रियों को शिक्षा प्राप्ति का पूर्ण अधिकार प्राप्त था। स्मृति–काल विधि–विधानों का काल था। मनुष्य का सम्पूर्ण जीवन इन्हीं विधि–विधानों से बंधा हुआ पूर्णरूपेण अनुशासित तथा नियमित था। आचार्य मनु आदर व मान्यता के क्रम में धन, सम्बन्ध, आयु, कर्म, विद्या–इन पाँच को मान्यता देते हैं, जिसमें विद्या सर्वोच्च पद पर प्रतिष्ठित है–

> ''वित्तं बन्धुर्वयः कर्म विद्या भवति पंचमी।
> एतानिमान्यस्थानानि गरीयो यद्यदुत्तरत्।।''
> (मनुस्मृति 2/136)

मनु की दृष्टि में मोक्ष की प्राप्ति विद्या तथा तप के द्वारा ही सम्भव है– ''तपोविद्या च विप्रस्य निःश्रेयष्करं परम्'' तपसा किल्विषं दृन्ति विद्ययामृतमश्नुते।।'' (मनुस्मृति 12/104)

शिक्षा का प्रारम्भ उपनयन संस्कार से होता था, जो स्त्रियों के लिए औपचारिक रीति ही बनकर रह गया। विवाह को ही उनका उपनयन माना जाने लगा। आचार्य मनु स्त्री शिक्षा के प्रति उदासीन थे, यह तब स्पष्ट होता है जब वे कन्या के विवाह की आयु आठ वर्ष निर्धारित करते हैं। स्त्रियों को शुद्रवत् शिक्षा से वंचित रखने का विधान करते हैं। स्त्रियों के पाणिग्रहण संस्कार में ही मंत्रोच्चारण का विधान करते है, अन्य संस्कारों में नहीं–

> नास्तिस्त्रीणां क्रियामन्त्रैरितिधर्मेव्यवस्थितिः।
> निरिन्द्रिया ह्यमन्त्राश्चस्त्रियोऽनृतमितिस्थितिः।।
> (मनुस्मृति 9/18)

विवाह काल में सुन्दर स्त्रियोचित गुण से सम्पन्न आभूषणों से अलंकृत कन्यादान की बात कही गयी है लेकिन कहीं पर भी सुरक्षित कन्या की बात नहीं कही गयी है। नारी के लिए विवाह की अल्पायु अध्ययन के प्रति उदासीनता को द्योतित करता है। याज्ञवल्क्य स्त्रियों के सम्बन्ध में उदार माने जाते हैं, लेकिन इन्होंने भी स्त्रियों के संस्कार को अमंत्रक ही बताया है।

(याद्यवल्क्य स्मृति 1/3)

नारद और परासर जैसी स्मृतियाँ भी स्त्री शिक्षा के सम्बन्ध में मौन ही हैं। भृगुस्मृति तथा बद्धहारीति में शूद्रों तथा स्त्रियों के उपनयन व अध्ययन की व्यवस्था है। बद्धहारीति के अनुसार सदाचारी, सत्यशील आदि गुणों से युक्त ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र व स्त्रियाँ मत्रों के पाठ की अधिकारी हैं–

''ब्राह्मणः क्षत्रियाः वैश्याः स्त्रियः शूद्रस्तयेः।
तस्याधिकारिणः सर्वे सत्यशील गुणायदि।।''[1]
(बद्धहारीति 3/6)

भृगु स्मृति का कथन है कि बालकों एवं कन्याओं का उपयन संस्कार पाँच वर्ष की अवस्था में कराकर उन्हें वेदाभ्यास करना चाहिए (भृगु स्मृति 3/40–43, 10/1–15)

इस प्रकार हम देखते हैं कि बद्धहारीति तथा भृगुस्मृति आदि कुछ अल्प स्मृति ग्रन्थों में ही स्त्री–शिक्षा की व्यवस्था अपवाद रूप में मिलती है। सामान्य रूप से दृष्टिपात करने पर स्मृति काल में नारी शिक्षा का ह्रास ही दृष्टिगत होता है। वेदों में स्त्रियों के लिए उपनयन तथा शिक्षा की सुविधायें दृष्टिगत होती हैं, जो स्मृतिकाल में बाधित हो गयीं। इस महनीय परिवर्तन का मूल कारण है वेदों में नारी की स्वतन्त्रता को परतन्त्रता में बदलना। अनेक स्मृतिकारों ने वाल्यकाल से वृद्धावस्था तक स्त्री को पुरुष के अधीन कर दिया है, जिससे उनका कार्यक्षेत्र केवल घर गृहस्थी तक सिमटकर रह गया। सम्भवतः स्त्रियों के परतन्त्रता के कारण विदेशियों के आक्रमण ही होगें। विदेशी आक्रमण से समाज में व्याप्त असुरक्षा ने स्त्रियों की स्थिति को प्रभावित किया। कन्याओं का गुरुकुल में जाना बन्द हो गया एवं उनके स्त्रीत्व के रक्षा के लिए वाल्यकाल में ही उनका विवाह किया जाने लगा। स्त्रियों की अशिक्षा के कारण ही उन्हें शूद्र कोटि में रखा गया तथा पति सेवा ही उनका सर्वोच्च कर्म कहा गया–

वैवाहिको विधिः स्त्रीणां संस्कार वैदिको स्मृतः।
पतिसेवा गुरौवासो गृहार्थोग्निपरिक्रिया।।
(मनुस्मृति 2/67)

स्मृति ग्रन्थों के अतिरिक्त कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी स्त्री को विपत्ति कहा गया है। विधवा, अंगहीन, प्रोषितभर्तृका के लिए सूत कतवाने, घरेलू कार्यों में नियुक्त करने के लिए प्रजा को निर्देशित किया गया है–

(कौटिल्य अर्थशास्त्र द्वितीय अधिकरण 23/2)

अर्थशास्त्र में स्मृतियों की तरह स्त्रीशिक्षा के प्रति नकारात्मक भाव है। स्मृतियों में तो नारी शिक्षा की अधिकारिणी बनी रही किन्तु वैदिक ग्रन्थों के अध्ययन से वंचित रखा गया। मनुस्मृति में स्त्रियों के उपनयन को औपचारिक महत्त्व प्राप्त था। शरीर की शुद्धि के लिए स्त्रियों के उपनयन आदि कर्म यथासमय, यथाक्रम मन्त्रोच्चार किये बिना ही करना चाहिए। स्त्रियों का वैदिकसंस्कार उनका यथाविधि विवाह होना ही है। पति सेवा ही उनका गुरु–गृह में रहना और गृहकार्य ही उनकी अग्नि–परिचर्या है–

''अमन्त्रिका तु कार्येयं स्त्रीणामावृद्धिशेषतः।
संस्कारार्थं शरीरस्य यथाकालं यथाक्रमम्''।।[1]

और

''वैवाहिको विधिः स्त्रीणां संस्कारो वैदिकः स्मृतः।
पतिसेवा गुरौ वासो गृहार्थोऽग्निपरिक्रिया।।''[2]

याज्ञवल्क्य ने स्त्रियों के उपनयन का सर्वथा बहिष्कार किया है–

''तूष्णीमेताः क्रियाः स्त्रीणां विवाहस्तु समन्त्रक''[3]

उपर्युक्त कारणों से स्त्रियों के उपनयन संस्कार बन्द हो गये। उपनयन के अभाव में स्त्रियाँ वैदिक–शिक्षा की अधिकारिणी भी नहीं रहीं। उनका कार्यक्षेत्र सिमट कर घर के भीतर ही रहा। वे पुरुषों के समान गुरुकुल में रहकर शिक्षा'ग्रहण करने से वंचित रह गयीं। मानव–शरीर में जो महत्त्व नाड़ी का है, समाज में वही महत्त्व नारी का है। स्त्रियों को गृहविज्ञान के शिक्षार्थ बाहर जाने की आवश्यकता नहीं थी। घर के भीतर ही उन्हें ये शिक्षायें मिल जाया करती थीं। सम्भवतः नारियों के लिए वैदिक–शिक्षा के महत्त्व को कम करने का यही कारण था। मनु आदि स्मृतिकारों के द्वारा स्त्रियों के लिए वैदिक–शिक्षा का विरोध करना कुछ दृष्टियों से उनके व समाज के हित में ही था। यह किसी द्वेष भावना से नहीं किया गया था।[4]

मनुस्मृति में ऐसा कहा गया है कि बालिका, युवती अथवा वृद्धा हो तो भी कोई गृहकार्य स्वतन्त्रता पूर्वक न करे। स्त्री बाल्यावस्था में पिता के, यौवनावस्था में पति के और पति की मृत्यु होने पर पुत्रों के अधीन रहे, स्वतन्त्र न रहे। पिता, पति या पुत्र से अलग रहने की कभी इच्छा न करें, क्योंकि ऐसा करने वाली स्त्री अपने पिता और पति दोनों के कुलों को निन्दित कर देती है। स्त्री सदा प्रसन्न रहकर गृह–कार्यों को दक्षतापूर्वक करे, सभी वस्तुओं को स्वच्छ रखे तथा धन का व्यय कम करें–

''बालया ना युवत्या वा वृद्धया वापि योषिता।
न स्वातन्त्र्येण कर्त्तव्यं किंचित्कार्यं गृहेष्वपिं।।''[5]
''बाल्ये पितुर्वशे त्रिष्ठेत्पाणिग्रहस्य यौवने।
पुत्राणां भर्तरि प्रेते न भवेज्स्त्री स्वतन्त्रताम्।।''[6]
''पित्रा भर्त्रा सुतैर्वापितेच्छेद्विरहात्मनः।
एषां हि विरहेण स्त्री गर्ह्ये कुर्यादुभे कुले।।''[7]

नारियों को साहित्य क्षेत्र में अध्ययन की पूर्ण स्वतन्त्रता थी। अधिकांशतः साधारण परिवार की कन्यायें धन के अभाव के कारण शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकती थीं। शिक्षा के अभाव के कारण स्त्रियाँ पुरुषों से हीन हो गयी। उनमें धर्म, अधर्म तथा ज्ञान का अभाव हो गया।

उपर्युक्त विवेचनों से यहीं स्पष्ट होता है कि अति प्राचीन काल (वैदिक काल) में भारतीय नारियाँ उच्च वैदिक शिक्षा का लाभ उठाती थीं, किन्तु स्मृति काल में उनके लिए वैदिक शिक्षा प्रतिबन्धित कर दी गयी, किन्तु साहित्यिक–ज्ञान, काव्य– रचना तथा अनेक कलाओं तथा शिल्पकारी में दक्षता प्राप्ति के लिए उन्हें पूर्ण अधिकार प्राप्त था।

अथर्ववेद के एक मंत्र में कहा गया है कि स्त्री ब्रह्मचर्यव्रत का पालन करते हुए शिक्षा ग्रहण कर योग्य वर को प्राप्त कर सकती है। वैदिक काल में अनेक विदुषी स्त्रियाँ ऋषि पद प्राप्त थीं, इनमें अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, सिकता, निवावरी आदि के नाम उल्लेखनीय हैं।

इस प्रकार स्मृतिकार नारी शिक्षा के प्रश्न पर मौन हैं। अनुमानतः यह कहा जा सकता है कि कताई, बुनाई आदि विषयों में कन्यायें निपुण थीं। पुत्रों के समान कन्यायों के भी संस्कारों का अनुमान

लगाया जा सकता है। पुत्र के पूर्ण सम्पूर्ण संस्कार वैदिक मन्त्रों के साथ होते थे लेकिन पुत्रियों के संस्कार अमंत्रक किये जाते थे। कन्याओं के विवाह संस्कार में ही वैदिक–मंत्रों का विनियोग किया जाता था।

परिस्थितिवशात् स्मृति–काल में स्त्रियों को वैदिक शिक्षा से वंचित किया गया था, इसीलिए बालक एवं बालिकाओं की शिक्षा में विभिन्नता थी। यदि बालकों की शिक्षा का उद्देश्य उन्हें श्रेष्ठ, सच्चरित्र और लौकिक जीवन में सफल बनाना था तो बालिकाओं की शिक्षा का उद्देश्य उन्हें उत्तम गृहिणी और श्रेष्ठ माता बनाना था। स्मृतिकालिक समाज में बाल–विवाह, पर्दाप्रथा व सतीप्रथा नहीं थी। वे उत्सवों व त्योहारों में सम्मिलित होती थीं। उनके घर से बाहर निकलने, घूमने–फिरने, आने–जाने की पूर्ण स्वतन्त्रता थी। उनकी नैतिकता एवं सदाचार का स्तर ऊँचा था। स्मृतिकाल में धार्मिक कृत्यों, सामाजिक उत्सवों, समारोहों आदि में वे पुरुषों के साथ समान आसन ग्रहण करती थी–

''तस्मादेता सदा पूज्या भूषणाच्छादनासनैः।
भूतिकामैनित्यं सत्कार्येषूत्सवेषु च।''[8]

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. मनुस्मृति 2/66
2. मनुस्मृति 2/67
3. याज्ञवल्क्य 1/13
4. डा0 मालती शर्मा – वैदिक संहिताओं में नारी–पृष्ठ 1
5. मनुस्मृति 5/147
6. मनुस्मृति 5/148
7. मनुस्मृति 5/149
8. प्राचीन भारतीय संस्कृति–बी0एन0 लुड़िया–पृष्ठ 712
9. मनुस्मृति – डा0 चमनलाल गौतम–शैलेन्द्र बी0 महेश्वरी सरस्वती संस्थान, भीकचन्द्र मार्ग–मथुरा सन् 2000
10. मनुस्मृति – सम्पादक वी0एम0 माण्डविक बम्बई 1886
11. याज्ञवल्क्य स्मृति – सम्पादक डा0 उमेश चन्द्र पाण्डेय चौखम्भा संस्कृत संस्थान वाराणसी।
12. परासरस्मृति – हिन्दी अनुवादक श्री वासुदेव चौखम्भा संस्कृत संस्थान वाराणसी 1977
13. भारत का प्राचीन इतिहास – डा0 जयशंकर मिश्र बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी पटना।
14. प्राचीन भारतीय संस्कृति – वी0एम0 लुड़िया–लक्ष्मी नारायण अग्रवाल आगरा 3–षष्ठ संस्करण–1986
15. प्रमुख स्मृतियों का अध्ययन – दत्त ठाकुर, डा0 लक्ष्मी–हिन्दी समिति उ0प्र0 1970
16. स्मृतियों में नारी – डा0 भारती–चौखम्भा संस्कृत सीरीज वाराणसी–2003
17. भृगुस्मृति – होशियारपुर
18. कौटिल्य अर्थशास्त्र – चाणक्य–जयको प्रकाशन हाउस मुम्बई–2009
19. याज्ञवल्क्य स्मृति–पं0 थानेशचन्द्र उपरैती–परिमल पब्लिकेशन प्रा0लि0 दिल्ली इण्डिया–2011